

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत - उप खण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

श्री वशंत पुत्र अवरलाल लोहार

श्री अशोक सावलोल पुत्र अवरलाल लोहार

निवासी - धाणडी

निवासी धाणडी

किस्म मुकदमा:- राजस्व विविध प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट. 1955 मु० न०.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीम में जारी हुआ।
7/10/2024	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये समन/नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 07/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी, सोजत</p>	
07/11/24	<p>अधिप्राप्ति उप।</p> <p>अधिप्राप्ति के उपपत्र को Not Press किया है। लिहाजा अधिम पत्र को जरिये Not Press करारिय किया जा रहा है। पत्रावली फंडल शुमार होकर नंबर ले का है।</p> <p style="text-align: right;">Sdo Sojot</p>	<p>Not Press</p> <p>Signature</p>